

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक:- प. 20 (2) गृह-9/2012पार्ट2

गृह (ग्रुप-6) विभाग  
शासन संविदालय, जयपुर  
डायरी संख्या ...३४६५३  
दिनांक ...४।।१२।२०२१  
जयपुर, दिनांक:- ०६।।१२।२०२१

### अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि 108 आपात कालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस बेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं में हड्डताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से 108 आपात कालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस एम्बूलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं जिनका संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटिएटेड एम्बूलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 06.12.2021 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मुकेश चारीक)

शासन उप सचिव, गृह

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- ✓ 1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
5. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
6. विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनआरएचएम जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर्स एवं जिला मजिस्ट्रेट्स पुलिस आयुक्त राजस्थान।
8. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त राजस्थान।
9. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेज, राजस्थान।
10. निदेशक, जन स्वास्थ्य राजस्थान जयपुर।
11. स्टेट हेड, जीवीके ईएमआरआई झालाना इंगरी, जयपुर।
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
- ✓ 14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में आनलाईन प्रकाशित किये जाने हेतु। (साफ्ट कापी)
16. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव, गृह